# बिहार सरकार
## लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0–107/2013 413 (ग्रा0) पटना – 15, दिनांक :– 24/01/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बेगुसराय।

विषय :– वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत बेगुसराय जिला के आर्सेनिक प्रभावित टोलों के 38 अदद 125 मीटर गहरे आई0 एम0–II पम्प के साथ नलकूपों के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु राज्यांश मद से 4.176 लाख रूपये (चार लाख सत्रह हजार छः सौ रूपये) मात्र की विमुक्ति।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के बिहार राज्य के 12 जिलों के आर्सेनिक प्रभावित टोलों के 716 अदद 125 मीटर गहरे आई0 एम0–II पम्प के साथ नलकूपों के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख--रखाव हेतु विभागीय पत्रांक – 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0–107/13 – 523 दिनांक – 28/02/14 द्वारा 647.264 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है जिसमें राज्यांश की राशि 323.632 लाख रूपये है।

2. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत बेगुसराय जिला के आर्सेनिक प्रभावित टोलों के 38 अदद 125 मीटर गहरे आई0 एम0–II पम्प के साथ नलकूपों के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु सामान्य मद से 4.176 लाख रूपये (चार लाख सत्रह हजार छः सौ रूपये) मात्र को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के राज्यांश मद में जमा राशि से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। इस योजना के लिए कोई नये पद का सृजन नहीं किया जायेगा।

AP Singh 24.1.2018
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक – 413 (ग्रा0) पटना, दिनांक – 24/01/2018

प्रतिलिपि – सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियन्ता, बेगुसराय / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / कार्यपालक अभियन्ता –सह– नोडल पदाधिकारी / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर /

रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / प्रशाखा पदाधिकारी – 4 / 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत बगुसराय जिला के आर्सेनिक प्रभावित टोलों के 38 अदद 125 मीटर गहरे आई0 एम0–II पम्प के साथ नलकूपों के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में राज्यांश मद की जमा राशि से कार्यपालक अभियन्ता, बेगुसराय को बैंक खाते के माध्यम से विमुक्त की जाय।

D Singh 24.1.2018
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव